रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17062021-227682
CG-DL-W-17062021-227682

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, जून 6 - जून 12, 2021, शनिवार/ ज्येष्ठ 16 - ज्येष्ठ 22, 1943
No. 18] NEW DELHI, JUNE 6 - JUNE 12, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 16 -JYAISTHA 22, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

सा.का.नि. 55 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग, विभागीय कैंटीन, समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2002, जहाँ तक इसका संबंध महाप्रबंधक और लेखाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के विभागीय कैंटीन में कतिपय समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, विभागीय कैंटीन, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2.**लागू होना .—** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3.**पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6.**शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महाप्रबंधक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 - 112400)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
(11)
ऐसे प्रबंधक सह लेखाकार और प्रबंधक श्रेणी-II, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रू. 35400 -112400/-) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवसाय में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया हो, प्रोन्नति के पात्र होंगे। **टिप्पण-1** : प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची, संबंधित श्रेणी या पद में विहित अर्हता सेवा के अधिकारियों द्वारा पूर्णता की तारीख के संदर्भ में बनायी जाएगी । **टिप्पण-2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जिन्होंने :—** क. मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ है; और ख. जो निम्नलिखित शैक्षिणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या व्यावसायिक अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में स्नातक की उपाधि; (ii) विभागीय कैंटीन के प्रशासन और प्रबंध में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण-1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण-2** : प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण-3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (ii) उप सचिव (सामान्य शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (iii) उप सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रबंधक-सह-लेखाकार	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 - 112400)	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की गयी हो।

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या व्यावसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन या अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। अनुभव : किसी भी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त संगठन से लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ऐसे सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रू. 25500 -81100/-) में इस श्रेणी में दस (10) वर्ष की नियमित सेवा के साथ सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवसाय में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया हो, प्रोन्नति के पात्र होंगे। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने :— क. (i) मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रू. 29200-92300/-) या इसके सदृश में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में छ: वर्ष की सेवा की हो; और ख. स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिणिक अर्हता और अनुभव रखता हो। **टिप्पण-1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) संयुक्त सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (ii) उप सचिव (सामान्य शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (iii) उप सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (i) संयुक्त सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (ii) उप सचिव (सामान्य शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (iii) उप सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. प्रबंधक श्रेणी II	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 - 112400)	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की गयी हो ।

(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या व्यावसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि धारित करता हो । **अनुभव:** किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठन से दो वर्ष का लेखा कार्य में अनुभव हो ।			

(11)
प्रोन्नति : ऐसे सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रू. 25500 -81100/-) में इस श्रेणी में दस (10) वर्ष की नियमित सेवा के साथ सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवसाय में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया हो, प्रोन्नति के पात्र होंगे। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने : — क. (i) मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रू. 29200-92300/-) या इसके सदृश में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छ: वर्ष की सेवा की हो; और ख. स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिणिक अर्हता और अनुभव रखता हो । **टिप्पण-1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण-2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण-3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : — (i) संयुक्त सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (ii) उप सचिव (सामान्य शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (iii) उप सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता ।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : — (i) संयुक्त सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (ii) उप सचिव (सामान्य शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (iii) उप सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	

[फा. सं. 39021/02/2020-ई एस टी टी.(ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 3rd June, 2021

G.S.R. 55 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission, Departmental Canteen, Group 'C' and Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the posts of General Manager and Accountant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group B posts in the Departmental Canteen of the Union Public Service Commission, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Departmental Canteen, Group B posts Recruitment Rules, 2021. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.General Manager	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation	**Promotion :** Manager-cum-Accountant and Manager Grade II in level-6 (Rs.35400-112400) of the pay matrix with three years of regular service in the grade having undergone a two-four weeks training on OrganisationalBehaviour, Communication Skills and Accounting Practices from Institute of Secretariat Training and Management or any other recognised institutes. **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the Officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion

				to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's Degree in Commerce or Business Studies or Economics or Public Administration from a recognisedUniversity or Institute; (ii) three(3) years experience in Administration and Management of Departmental Canteens . **Note1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceedingfifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Deputy Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Deputy Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Manager-cum-Accountant	1* (2021) *Subject to Variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Selection	Not exceeding 30 years (relaxable for government servants up to 5 years in accordance with order or instructions issued by Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Educational qualification: Bachelor's degree in Commerce or Business Studies or Public Administration or Economics from a recognised University **Experience:** Two years' experience in accounts work in any government office orpublic sector undertaking orstatutory or autonomous organisation.	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment	**Promotion**: Assistant Manager-cum-Store Keeper in Level-4(Rs. 25500-81100) of the pay matrix with ten (10) years regular service in the grade having undergone a two-four weeks training on OrganisationalBehaviour, Communication Skills and Accounting Practices from Institute of Secretariat Training and Management or any other recognised institutes. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation** : Officers under the Central Government, –

				(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 (Rs. 29200-92300) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Deputy Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Deputy Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Deputy Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Deputy Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Manager Grade-II	1* (2021) *Subject to Variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for government servants up to 5 years in accordance with order or instructions issued by the Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Educational qualification: Bachelor's degree in Commerce or Business Studies or Public Administration or Economics from a recognised University. **Experience:** Two years' experience in accounts work in any government office orpublic sector undertaking or statutory or autonomous organisation.	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment	Promotion: Assistant Manager-cum-Store Keeper in Level-4 (Rs. 25500-81100) of the pay matrix with ten (10) years regular service in the grade having undergone a two-four weeks training on OrganisationalBehaviour, Communication Skills and Accounting Practices from Institute of Secretariat Training and Management or any other recognised institutes. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central Government, – (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 (Rs. 29200-92300) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the

				direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Deputy Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Deputy Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Deputy Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Deputy Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission - Member.	Not applicable.

[F.No.39021/02/2020-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

सा.का.नि. 56.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधानसंस्थान, आस्का (संरक्षात्मक जूता निर्माता),अराजपत्रित पद भर्ती नियम,2002, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याम मंत्रालय, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओड़िशा में संरक्षात्मक जूता निर्माता पदपर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-